

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 7(19)राजमेस/एके./2018

जयपुर, दिनांक: 20 NOV 2018

परिपत्र

इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प.7(45)एम.ई./ग्रुप-1/2014 दिनांक 26.5.2016 से एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. छात्र जो आवंटित चिकित्सा महाविद्यालय को छोड़कर राजस्थान के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों, झालावाड़ व आर.यू.एच.एस. चिकित्सा महाविद्यालय में इन्टर्नशिप करते हैं, उन हेतु फीस निर्धारित की गई थी। परिपत्र दिनांक 26.5.2016 में निर्धारित फीस के अनुसार ही राजस्थान मेडिकल ऐज्युकेशन सोसायटी द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों में इन्टर्नशिप करने वाले एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. छात्रों हेतु फीस निर्धारित की जाती है:-

क्र.सं.	कॉलेज जिनमें एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. की गई है	निर्धारित फीस
1	Govt. Medical Colleges of Rajasthan	30,000
2	Private Medical Colleges of Rajasthan	1,50,000
3	Medical Colleges of any other State in India (Govt./Pvt.)	1,50,000
4	Foreign Medical Colleges (Govt./Pvt.)	2,00,000
5	Govt. & Private Dental Colleges	1,00,000

1. इन्टर्नशिप ट्रेनिंग प्रारम्भ होने से पूर्व ही आवेदन किया जाना होगा।
2. अन्य चिकित्सा महाविद्यालय के एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. इन्टर्नशिप छात्र मानदेय व हॉस्टल सुविधा हेतु पात्र नहीं होंगे।
3. उक्त सारणी की क्र.सं. 1 से 5 में वर्णित महाविद्यालय को मान्यता प्राप्त होने चाहिये।
4. आवेदन पत्र सीधे ही चिकित्सा महाविद्यालय के द्वारा प्राप्त किये जावेंगे।



(गोपाल सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, (प्रशासन) चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/बीकानेर/कोटा/उदयपुर/झालावाड़/चूरू/डूंगरपुर/पाली/भीलवाड़ा/भरतपुर।
6. रक्षित पत्रावली।



उप शासन सचिव